न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 201 सन 2022

अनवान :–

1. बिरमादेवी पुत्री बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी किकरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सन्तो देवी पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी किकरवाली तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 08/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 288/272 की कुल 7.5900हैव में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसके पति बनवारीलाल ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य चकों की कृषि भूमि की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो उसकी पत्नी है के नाम से दर्ज करवाई गई थी।

वादीया प्रतिवादी संख्या 1 एव बनवारीलाल की पुत्री है वादीया की शादी के समय वाद भूमि वादीया को भरण पोषण के लिये दी गई जो वादीया के कब्जा काश्त में है जिसकी आय से अपने एवं परिवार का भरण पोषण करती आ रही है किन्तु वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज नही है जिससे राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता प्राप्त नही हो रही है इसलिये वादिया को दान में दी गई भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज है जो उसके पति बनवारीलाल ने सयुक्त परिवार की आय से उसके नाम दर्ज करवाई गई थी वादीया प्रतिवादी संख्या 1 एव बनवारीलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया की शादि के समय वाद भूमि वादीया के भरण पोषण के लिये दान में दी गई थी जो उसके कब्जा काश्त में उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है इसलिय दान में दी गई भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 288/272 की कुल 7.5900हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसके पति बनवारीलाल ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य चकों की कृषि भूमि की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो उसकी पत्नी है के नाम से दर्ज करवाई गई थी।

वादीया प्रतिवादी संख्या 1 एव बनवारीलाल की पुत्री है वादीया की शादी के समय वाद भूमि वादीया को भरण पोषण के लिये दी गई जो वादीया के कब्जा काश्त में है जिसकी आय से अपने एवं परिवार का भरण पोषण करती आ रही है किन्तु वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज नही है जिससे राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता प्राप्त नही हो रही है इसलिये वादिया को दान में दी गई भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 288/272 की कुल 7.5900हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है वाद भूमि उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो उसक पिता बनवारीलाल ने सयुक्त परिवार की आय एव अन्य कृषि भूमि की आय से खरीद की जाकर वादीया की माता के नाम दर्ज करवाई गई थी वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया की शादि के समय वादीया के भरण पोषण हेतु दान में दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में जिसे अपने नाम दर्ज करवाना चाहती है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 288/272 की कुल 7.5900हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
लोकर कोड नं. 16296

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बिरमादेवी पुत्री बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी किकरवाली तहसील ~~नोहर~~ संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सन्तो देवी पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी किकरवाली तहसील ~~नोहर~~ संगरिया।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 201 सन 2022 निर्णय दिनांक– 08/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 288/272 की कुल 7.5900हैक्ट में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादिया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner